न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 03/2021
अनवान :–

1. मुखराम पुत्र. काशीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. हरफुल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
3. हेमराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर (फोत)
   3/1 बीरजलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
   3/2 देवाराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
   3/3 सिलोचना पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
   3/4 द्रोपती पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
   3/5 धापा पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम्

1. अजयसिह पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. बिरमा पुत्री नानकराम पत्नी रामपाल जाति जाट निवासी चिलकनी पोस्ट भूरटवाला तहसील ऐलनाबाद हरियाणा
3. रामप्यारी पत्नी नानकराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. विकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. सत्यनारायण पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. सन्तोष पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री हरिसिह सिहाग अभिभाषक, प्रार्थीगण
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 11/06/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 331/357(215) के किला न0 5 से 7 ,14 ,15 ,17, 18, 23 ,24 व प0न0 331/358(243) के किला न0 2 से 4 ,8 ,9 ,12 ,13 प0न0 332/356(166) के किला न0 6, 15 ,16 तथा प0न0 357/214(214) के किला न0 4 से 7 ,15 तथा प0न0 333/356(167) के किला न0 9 से 12 , 19 से 22 व प0न0 333/357(213) के किला न0 1 ,2 ,9 से 12 प0न0 343/353(77) के किला न0 5 से 8 ,14 ,15 17 प0न0 344/352(75) के किला न0 22 ,23 और मु0न0 प0न0 344/353(76) किला न0 1 से 3 ,7 से 13 भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है।

अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा चक 3ब बारानी के प0न0 332/357(214) किला न0 14 ,16 ,17 व 23 से 25 प0न0 332/358(244) के किला न0 3 से 8 ,12 से 15 तथा प0न0 333/357(213) के किला न0 19 ता 23 व प0न0 333/358(245) के किला न0 1 ,2 ,9 से 12 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण के हिस्सा की उक्त भूमि में आवागमन हेतु कोई सुविधाजनक स्वीकृत रास्ता नही है जिससे आवा[illegible] है व कृषि भूमि काश्त करने में परेशानी होती है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के स[illegible] न0 358 की लाईन पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुद्वा रास्ता है जिसमें [illegible] 166 ,167 ,214 ,213 की भूमि में आवागमन करते है प्रार्थी[illegible] भूमि प0न0 332/357[illegible] के किला न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

16 ,25 में पूर्वी तरफ से एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है ।

प्रार्थीगण को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी भूमि में आवगमन करने के लिये उपलब्ध नही है इसलिये प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने के लिये तेयार है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 332/357(214) के किला न0 16 ,25 में पूर्वी तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश हाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई अप्रार्थी संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

राजस्थान राज्य भूधारी है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 657/560 के कुल 14.0790हैक भूमि जिसके लिये रास्ता चाहा गया है सभी काश्तकारो को पक्षकार नही बनाया गया है सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प0न0 332/356(166) के किला न0 5/1 में रास्ता स्वीकृशुद्वा है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है प्रार्थीगण प0न0 332/356(166) किला न0 5/2 में रास्ता स्वीकृत करवाकर अपने खेत में प्रवेश कर सकते है यह सबसे नजदीकी रास्ता है प्रार्थीगण को छोटा एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है जो गांव से आने पर पहले पडता है प्रार्थी ने क्लीन हैण्ड से रास्ता नही चाहा गया है ना ही 251 क के प्रावधान पूर्ण करते है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण जो सयुक्त खातेदार काश्तकार है को अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है प्रार्थीगण अपनी भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि के किला न0 16 ,25 से होकर अपनी भूमि में आवगामन कर सकत है जो सबसे छोटा और सुविधाजनक रास्ता है जिसे स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण ने रास्ता प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र में सभी सयुक्त खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है एवं प्रार्थीगण को प0न0 332/356(166) के किला न0 5/1 में रास्ता स्वीकृशुद्वा है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है प्रार्थीगण प0न0 332/356(166) किला न0 5/2 में एक किला में रास्ता उपलब्ध हो सकता है इसलिये प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकार करवाने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

प्रार्थीगण व अन्य सहकाश्तकारो की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 331/357(215) के किला न0 5 से 7 ,14 ,15 ,17 ,18 ,23 ,24 व प0न0 331/358(243) के किला न0 2 से 4 ,8 ,9 ,12 ,13 प0न0 [illegible]56(166) के किला न0 6, 15 ,16 तथा प0न0 357/214(214) के [illegible] प0न0 333/356(167) के किला न0 9 से 12 , 19 से 22 के प0न0 333/35[illegible]) के किला न0 1 ,2 ,9 से 12 प0न0 343/353(77) के किला न0 5 से 8 ,14 ,15 [illegible] प0न0 344/352(75) के किला न0 22

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,23 और मु0न0 प0न0 344/353(76) किला न0 1 से 3 ,7 से 13 भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है।

अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा चक 3ब बारानी के प0न0 332/357(214) किला न0 14 ,16 ,17 व 23 से 25 प0न0 332/358(244) के किला न0 3 से 8 ,12 से 15 तथा प0न0 333/357(213) के किला न0 19 ता 23 व प0न0 333/358(245) के किला न0 1 ,2 ,9 से 12 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है किला न0 16 ,25 में रास्ता स्वीकार फरमावे जबकि गैरसायल का विरोध है कि सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है तथा छोटा व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीगण का कथन इस हद तक स्वीकार है कि उसे अपनी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत रास्ता नही है अन्य कथन स्वीकार योग्य नही है तथा अप्रार्थीगण का कथन स्वीकार योग्य है कि प्रार्थीगण ने सभी पक्षकारो को पक्षकार नही बनाया गया है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत के निकटतम दुरी पर प0न0 332/357(214) किला न0 25 में कटानी रास्ता उपलब्ध है जो चालू है प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु उक्त कटानी रास्ता किला न0 25 से किला न0 25 ,16 में स्वीकृत करने पर प्रार्थीगण की भूमि तक आवागमन का रास्ता उपलब्ध हो सकता है प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये प0न0 333/356(167) किला न0 1 या मु0न0 166 के किला न0 5 में रास्ता उपलब्ध हो सकता है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि के दोना तरफ स्वीकृतशुद्वा रास्ता चालू है अर्थात मु0न0 214 , 213 , 166 ,167 की पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत शुद्वा है।

प्रार्थीगण ने मु0न0 214 के किला न0 25 , 16 में रास्ता चाहा गया है जो दो किलो में चाहा गया है नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण को मु0न0 166 ,167 में जो रास्ता स्वीकृतशुद्वा चालू है से एक किला की दुरी पर ही रास्ता उपलब्ध हो सकता है अर्थात मु0न.0 167 के किला न0 5/1 में रास्ता स्वीकृतशुद्वा है 5/2 में रास्ता देने पर प्रार्थीगण को एक किला में ही रास्ता उपलब्ध हो सकता है अर्थात प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता छोटा रास्ता नही है प्रार्थीगण को छोटा रास्ता उपलब्ध हो सकता है।

प्रार्थीगण सहखातेदारी में भूमि दर्ज है प्रार्थीगण ने अपने सहखातेदारो को पक्षकार ही नही बनाया गया है जबकि विधि का सिद्वान्त है कि सभी आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है चाहे उनके विरूद्व अनुतोष हो या ना हो यदि अन्य सहखातेदारो के विरूद्व कोई अनुतोष नही था तो तरतीबी अप्रार्थी बनाया जा सकता था।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार नही बनाने के कारण एव प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते से छोटा रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

अतः सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतो के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested